20रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित

(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक /2017

निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4088

डॉ. विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री मनीराम शर्मा, निवासी– कालॉनी वैराड, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. मुकेश पुत्र रामजीलाल, निवासी– कालॉनी वैराड, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
3. दंगला पुत्र नत्था यादव, निवासी– सांपरवाडा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.) **--अनावेदकगण**

श्री विनोद भार्गव अधि० द्वारा आज दि. 30-10-17 को प्रस्तुत

30-10-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पे० दि० 9-11-17

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 30-10-2017

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी, जिला शिवपुरी प्र.क्र. 153/2013–14/स्व.निग. में पारित आदेश दिनांक 04/03/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

1. यहकि, विवादित भूमि पुराना सर्वे क्रमांक 32/4 नया सर्वे क्रमांक 74 रकबा 2.14 हे. का भूमि स्वामी अनावेदक क्र. 2 मुकेश पुत्र रामजी लाल वैश्य था। अनावेदक क्र. 2 द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की भूमि का विक्रय अनावेदक क्रमांक 3 के पक्ष में किया गया। तदानुसार अनावेदक क्रमांक 3 राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमि स्वामी थी।

प्राप्त 30/10/17
शाखा ...
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

2. यहकि, आवेदक द्वारा राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमि स्वामी दंगला अनावेदक क्र. 3 से रजिस्ट्रीकृत विलेख दिनांक 19/09/2014 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। तदानुसार राजस्व अभिलेख में आवेदक का नामांतरण हो गया। (विक्रय पत्र एवं खसरा की प्रति संलग्न है।)

(3)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/शिवपुरी/भू0रा0/2017/4088 जिला– शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05.12.2017	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 153/13–14/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04.03.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। 2. आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आलोच्य आदेश उन्हें बिना सूचना दिए दिया गया है। जबकि उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 165–7 (ख) के प्रावधानों का अध्ययन भलीभांति नहीं किया गया है। 3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अपर कलेक्टर के आदेश का अवलोकन किया। यह प्रकरण शासकीय पट्टे की भूमि को बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के विक्रय के संबंध में है। अपर कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा अपने आदेश में यह पाया है कि विवादित भूमि भूदान की है जिस पर मुकेश पुत्र रामजीलाल अनावेदक क. 2 को भूदान कृषक का पट्टा होना पाया गया। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में आलोच्य भूमि का अंतरण बिना कलेक्टर की अनुमति के किये जाने के कारण भूमि को शासकीय घोषित किये जाने के आदेश दिए गए हैं। संहिता की धारा 165–7 (ख) के अनुसार प्राप्त भूमि को बिना कलेक्टर की पूर्वानुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 250 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) 158(3) तथा 165(7) (ख) – धारा 158 (3) के अधीन भूमि का अंतरण – धारा 165 (7) (ख) के उपबंधों के अध्यधीन है अर्थात कलेक्टर की अनुज्ञा आज्ञापक है । यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है । न्यायदृष्टांत 2009 आर0एन0 187 जो माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आधारित है मैं यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 165 (7) (ख), 158 (3) तथा 110 शासकीय भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई, 10 वर्ष उपरांत पट्टेदार भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये तब भी ऐसी भूमि का अंतरण जिलाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है। यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	